खाद्य और बीवरेज क्षेत्र के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करने के लिए
एफ.एस.एस.ए.आई ने ए.एस.सी.आई के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली, 28 जून 2016: विज्ञापन के क्षेत्र में सह-विनियमन की गति को जारी रखते हुए एफ.एस.एस.ए.आई ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ए.एस.सी.आई) के साथ भागीदारी के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। खाद्य और बीवरेज क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मामले निपटाते समय ए.एस.सी.आई विभिन्न मीडिया में जारी इन विज्ञापनों को व्यापक रूप से मानीटर करेगी। एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य और बीवरेज (एफएंडबी) क्षेत्र के भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए ए.एस.सी.आई को उनका स्वत: संज्ञान लेकर उनकी मानीटरिंग करने का अधिदेश दिया है। इस एमओयू में ए.एस.सी.आई से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह अपने निर्णयों के अपालन की स्थिति में एफ.एस.एस.ए.आई को सूचित करे, जिससे एफ.एस.एस.ए.आई अधिनियम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। एफ.एस.एस.ए.आई को ''गामा पोर्टल'' के माध्यम से भ्रामक विज्ञापनों के मामले प्राप्त हुए। अब तक प्राप्त 21 मामलों में से एफ.एस.एस.ए.आई ने 06 मामले निपटा दिए हैं और शेष मामले जाँच/निपटान की विभिन्न स्थितियों में हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई एफएंडबी के भ्रामक विज्ञापनों संबंधी शिकायतें भी ए.एस.सी.आई को भेजेगी, जिन की ए.एस.सी.आई अपनी संहिता और दिशा-निर्देशों के अनुसार समीक्षा करेगी। इस समीक्षा में एफ.एस.एस.ए.आई अधिनियम और भ्रामक, निस्सार अथवा झूठे दावे करने वाले विज्ञापनों संबंधी विनियमों के उल्लंघन का भी ध्यान रखा जाएगा।

इस भागीदारी से भ्रामक विज्ञापनों को मानीटर करने की प्रणाली स्थापित हो जाएगी, जिससे विज्ञापनों को सुपरिभाषित दिशा-निर्देशों और उपयुक्त कार्रवाई के माध्यम से दुरुस्त बनाने में सहायता मिलेगी।

श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने कहा, *''एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों को गंभीरता से लिया है और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए इसने ए.एस.सी.आई के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे इस परिदृश्य से निपटने की कार्य-प्रणाली में आमूल परिवर्तन होगा और हितधारकों की भागीदारी के कारण इसमें पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना भी आएगी।''*

श्री बिनोय रॉयचौधरी, अध्यक्ष, ए.एस.सी.आई ने कहा, *''हमें प्रसन्नता है कि विज्ञापन की सामग्री के संबंध में ए.एस.सी.आई की स्व-नियंत्रित प्रक्रिया को विभिन्न सरकारी संस्थाओं की मान्यता मिल रही है और एफ.एस.एस.ए.आई के साथ भागीदारी से भ्रामक विज्ञापनों को कम करने के प्रयासों को बढ़ावा*

मिलेगा। एफएंडबी उत्पादों की खपत रोज होती है जिनसे करोड़ों उपभोक्ताओं की तंदरुस्ती पर असर पड़ता है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के भ्रामक विज्ञापनों का विनियमन ए.एस.सी.आई की मुख्य प्राथमिकता होगी।''

<u>भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ए.एस.सी.आई) के बारे में</u>

*भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् विज्ञापन उद्योग में स्व-विनियमन लाने वाला संगठन है और इस साल यह अपनी 30वीं वर्षगाँठ मना रहा है। 1985 में स्थापित ए.एस.सी.आई की भूमिका को विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने सराहा है। ए.एस.सी.आई 'केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994' के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त है, जिसमें कहा गया है कि ''केबल सेवा में ऐसा कोई विज्ञापन भारत में जन-प्रदर्शन के लिए जारी नहीं किया जाएगा, जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद्, मुंबई द्वारा अंगीकृत स्व-नियमन संहिता का उल्लंघन करता हो। ए.एस.सी.आई भ्रामक विज्ञापनों की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करने वाले उपभोक्ता मामले विभाग की ''**कार्यकारी शाखा**'' है।*

ए.एस.सी.आई और इसकी उपभोक्ता शिकायत परिषद् (सी.जी.सी्) का कार्य उपभोक्ताओं और उद्योगों से प्राप्त उन झूठे, भ्रामक, अश्लील, गैर-कानूनी विज्ञापनों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करना है, जिनके कारण असुरक्षित रीतियाँ अथवा अनुचित प्रतिस्पर्द्धाएँ आरंभ हो जाती हैं, परिणामस्वरूप विज्ञापन के स्व-नियमन संबंधी ए.एस.सी.आई संहिता का उल्लंघन होता है।

अपनी राष्ट्रीय विज्ञापन मॉनीटरिंग सेवा (एन.ए.एम.एस) के माध्यम से ए.एस.सी.आई स्व-सक्रियित होकर माह में नए छपे 80% से अधिक विज्ञापनों और टीवी के सभी नए विज्ञापनों की ए.एस.सी.आई संहिता के अध्याय । के उल्लंघन की मानीटरिंग करती है।

और अधिक सूचना के लिए कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें:

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई)
निदेशक, प्रवर्तन, एफ.एस.एस.ए.आई, एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद्,
श्वेता पुरंदरे, महासचिव, ए.एस.सी.आई : 9821162785/022-24955070

केचम् संपर्क पब्लिक रिलेशंस प्राइवेट लि0,
प्रीतू हैत : 91 9987003160